कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश

171, ममफोर्डगंज, आबकारी भवन, इलाहाबाद

कार्यालय ज्ञाप

संख्या–ए 6952 /चौदह–128/आशुलिपिक/इलाहाबाद:दिनांक:जून 23, 2010

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि– 19.07.2010 को सायंकाल 5.00 बजे तक।

शासनादेश संख्या–724 ई–1/तेरह–2010–499(2)/2008 टी0सी0, दिनांक 28.04.2010, शासनादेश संख्या–949 ई–1/तेरह–2010, दिनांक 05.06.2010 तथा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रकिया नियमावली, 2002 (यथासंशोधित, 2003) में निहित उपबन्धों के अधीन आशुलिपिक श्रेणी–3 के पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों, जो भारत के नागरिक हो, से एतद्द्वारा संलग्न प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 19.07.2010 तक आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा नीचे दी गयी अनिवार्य अर्हताओं के सम्बन्ध में स्पष्ट विवरण प्रमाण पत्र सहित अंकित किया जायेगा।

रिक्तियों का विवरण

नियुक्ति प्राधिकारी : आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

क0सं0	पदनाम	सादृश्य वेतन बैण्ड /वेतनमान ग्रेड वेतन	पदों की संख्या	सामान्य	अन्य पि0 वर्ग	अनु0 जाति	अभ्युक्ति
1	आशुलिपिक श्रेणी–3 (अस्थायी)	रू0 5200–20200 ग्रेड वेतन रू0 2400	4	3	–	1	पदों की संख्या घट –बढ सकती है।

पद हेतु अनिवार्य अर्हतायें :–

1. भारत का नागरिक हो।
2. **शैक्षिक योग्यता:–** 1– माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता।
   2– हिन्दी आशुलेखन और हिन्दी टंकण में कमशः अस्सी शब्द और पच्चीस शब्द प्रति मिनट न्यूनतम गति होना आवश्यक है।
3. **आयु :–** 01 जुलाई 2009 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। (अन्य पिछडा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है)

शारीरिक स्वास्थता के लिये अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

वैवाहिक प्रास्थिति :– नियुक्ति के लिये ऐसा कोई पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियॉं जीवित हों, और ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित हो।

चरित्र प्रमाण पत्र :–

दो राजपत्रित अधिकारियों से 06 माह के भीतर प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

सामान्य निर्देश :–

1 (क) उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–20(4)/का–2/2002, दिनांक 21.06.2003 तथा उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया नियमावली, 2002 (यथासंशोधित, 2003) के अनुसार विज्ञापित पद पर चयन श्रेष्ठता सूची (मेरिट) के अनुसार होगा। चयन के लिए कुल प्राप्तांक 100 अंकों का होगा। श्रेष्ठता सूची (मेरिट) के लिए अंक निम्नवत् निर्धारित किये जायेगे।

शैक्षिक अर्हता के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को **इण्टरमीडिएट** प्रथम श्रेणी के लिए बीस अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए पन्द्रह अंक, तृतीय श्रेणी के लिए दस अंक, **स्नातक** प्रथम श्रेणी के लिए दस अंक, द्वितीय श्रेणी के लिए आठ अंक, तृतीय श्रेणी के लिए छः अंक दिये जायेगे। छटनी–शुदा कर्मचारियों को सेवा के प्रथम वर्ष के लिए पॉच अंक एवं सेवा के दूसरे एवं प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए पॉच अंक परन्तु अधिकतम पन्द्रह अंक दिये जायेंगे खेलकूद–अन्तर्राष्ट्रीय, राज्य व विश्वविद्यालय/कालेज/स्कूल स्तर के खिलाड़ियों के लिए कमशः पॉच, चार, तीन एवं दो अंक दिये जायेगें, परन्तु अधिकतम पॉच अंक दिये जायेंगे।

1 (ख) आशुलिपिक के लिए आशुलेखन एवं टंकण अनिवार्य अर्हता है। चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की आशुलेखन एवं टंकण की अर्ह प्रकृति की परीक्षा ली जायेगी। केवल ऐसे अभ्यर्थियों को चयन के लिए विचार किया जायेगा जिन्होंने आशुलेखन एवं टंकण की विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। आशुलेखन एवं टंकण परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु बुलाया जायेगा।

2. आवेदन पत्र व प्रवेश पत्र में नवीनतम पासपोर्ट साइज का अभिप्रमाणित फोटोग्राफ चिपकाएं।

3. आवेदन पत्र के साथ दो लिफाफे 10X 23 से0मी0 पंजीकृत डाक टिकट लगाकर तथा अपना नाम व स्पष्ट पता लिखकर संलग्न करें।

4. आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य अर्हता, आयु एवं जाति प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतियॉ संलग्न करें।

5. अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।

6. आवेदन पत्र के साथ कोई शुल्क देय नहीं है।

7. निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।

8. **आवेदन पत्र निर्धारित तिथि एवं समय तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171, ममफोर्डगंज, आबकारी भवन, इलाहाबाद में पंजीकृत डाक से प्राप्त किया जायेगा।**

9. आवेदन पत्र एवं लिफाफे के ऊपर "**आवेदन पत्र आशुलिपिक श्रेणी–3 के लिए**" अंकित किया जाए।

10. दिनांक 19.07.2010 तक प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुकमांक, साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना पंजीकृत डाक द्वारा सीधे अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी।

11. क्षैतिज आरक्षण नियमानुसार अनुमन्य होगा।

21.6.

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश